अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार:-

अभिलेख संख्या :- 70/16.12

अपर समाहर्त्ता गोंड्डा के पत्रांक 615/ रा० दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री वार्ते हु ज जास्त्र) वो अंचल निरीक्षक श्री ... । अर्थेड्य ६७६ का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवंदित किया है कि मौजा......................... थाना नंव गेरमजरूआ खाता नंव दाग नं0 .22 रकवा १०-०५-०० किस्म पाली खरीग श्री *जुञ्चन द्वर का* पिता क्रीकांन का ... साकिन...... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री दिनांक २०/४/16 *उत्तर हैं कार्र* को सगय गा. मा. पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तादेख की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

> अंवल अधिकारी. महागामा।

30/7/16

थिमिलंब उपस्थापित

न्युमन कु भी मन आ है अबबुट् भी मुक्ता ठारुर के रस अहेन्द्र मारायन ठारुर साव अतुन्डी थाः - बांग विला - बांग उपरिवा इन्होंने राह्य है त्या त्रें रीई कलावेज प्रसुत नहीं किया गामात कार्यक रही हैंद्व समय ही त्रांत्र भी मही BOINT ARE 12713 11.08.2016 37 FRENTE SAMPE

sancha

अभिनाम व क्यारिया । उन्हान द्वार के कार्य क्यार कार्य 11/8/16 रिकांत २ भेड़ा। को रही। 31/7/2020 जानिक उपस्यापित। अभिनेरन उपस्थापित । 16.08.2021 कोर्निड -19 के कारण समय पर मोहिस निर्मत नहीं किया ग्रामा है। कार्पवाहक संधायक को निहेश दिया जाता है कि दिनोंक 21.08:2021 को 11:00 बर्ज धुर्वाहरा में अधोहस्ताश्ररी के न्यापालय में अमि में संबंधित कागजात के साथ स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होने हेर मोहिस निर्शत करें। अन्यल अगधनारी, HEIDIIHI 1 अगिषेयम उपस्पातिन/ 21-08-2021 वनाग द्वारा उसन नाति। दे चंद्रीयत हानते दी गाई। आप-ही-लाए वर्मिन श्रीम हे हो देशन कागानात की खाए प्रत त्रस्ता की गरी निमे हेस्सा मिने हिनार 24-08-2021 को रहें। महा आगे

24.08.2021

अभिलेख उपस्थापित । राजध्व उपनिरी अक - संर प्रभरी अंन्यल निरीधन महागामा से प्रस्नगत भूमि ना भेरिक प्रतिबंदन के साथ अभिजेखीय प्रतिबंदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया। प्रतिवेदानुमा अविध संदेशसपढ़ पंजी -1 रैयत को भूमि सुधाम पद्राध्यकारी से माप्त है। वर्तमान में उक्त भूमि पर भावेदक का मकान मय महन के रूप में द्रावल है एवं मपरिवार निवास का रहे हैं। वंदोवस्त्य रैंग्स लाम कुमार आ की मत्यू हो स्वी है इसिलाए उनकी पत्नी के द्वारा ठाजी। के पाथ काराजान समिप्त किया भारत है। अतः अप्राक्त के आलाक में अभिन्नेवन की कार्रवाई प्रमाप की लेखापित HEIDIHI 31-या भीया भीयाकरिं, HEIDIIH!

न्तिया में.

श्रीमान् अंचल अधिकारी, महागामा।

सुगन कुमार झा अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या 70/2016–17 पिता—श्रीकांत झा का जांच प्रतिवेदन के संबंध में। विषय:-

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या .. महाशय, 70/2016–17 सुमन कुमार ज्ञा पिता–श्रीकांत ज्ञा का जांच किया। जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बसुआ, थाना नं0–692 के गैरमजरूआ खाता सं0–24 के अंदर दाग नं0-32 का अंश रकवा 00-04-00 घूर किस्म- परती-कदीम अनुमंडल पदाधिकरी, गोंड्डा के वंदोवस्ती केश नं0-52/2003-04 के माध्यम से सुमन कुमार झा पिता-श्रीकांत झा को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। वर्त्तमान में सुमन कुमार झा की मृत्यु हो चुकी है। प्रश्नगत भूमि पर सुमन कुमार झा का मकानमय सहन के रूप में दखल है एवं इनका परिवार निवास कर रहा है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ सगर्पित।

विश्वासभाजन